भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 964
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

964. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में, जिला-वार, विशेष रूप से विजयनगरम जिले में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में, जिला-वार, विशेषरूप से विजयनगरम जिले में, पीएमआरवाई लाभार्थियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो प्रदान किए गए कौशल के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत है;

(ग) विजयनगरम जिले में पीएमआरवाई लाभार्थियों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जो उनकी स्थायी आजीविका और उद्यम सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं; और

(घ) विजयनगरम जिले में युवाओं में आत्महत्या के बढ़ते मामलों, विशेष रूप से वित्तीय संकट और युवाओं में बेरोजगारी के कारण, को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) 2007-08 के बाद बंद कर दी गई है। भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से, 2008-09 में तत्कालीन मौजूदा रोजगार सृजन कार्यक्रमों अर्थात् ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का विलय करके प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की शुरुआत की है। ।

एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान करती है। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है और शहरी क्षेत्रों में 25% है। परियोजना की अधिकतम लागत रु. विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है।

साथ ही, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के तहत् लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 05% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है।

2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी पिछले अच्छे प्रदर्शन के आधार पर उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ समर्थन दिया जाता है। दूसरे ऋण के तहत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

सहायता प्राप्त इकाईयों की संख्या, वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पीएमईजीपी का प्रदर्शन अनुबंध-I पर है।

वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश में सहायता प्राप्त इकाईयों की संख्या, वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में जिला-वार पीएमईजीपी प्रदर्शन अनुबंध- II में है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत, सभी लाभार्थियों को अपनी इकाईयाँ स्थापित करने से पहले अनिवार्य रूप से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आंध्र प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी लाभार्थियों को प्रदान किए गए ईडीपी प्रशिक्षणों की जिलेवार संख्या अनुबंध-III में दी गई है।

उक्त जिलों सहित पूरे देश में सरकार द्वारा अधिक लाभार्थियों को शामिल करने और रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये से बढाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपये कर दी गई है।
ii. आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।
iii. योजना के तहत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, जलीय कृषि, कीड़े (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन, आदि) शामिल करने की अनुमति दे दी गई है।
iv. पीएमईजीपी के तहत दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाईयों की लाभप्रदता पर विचार करते समय कोविड वर्ष यानि वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 को छूट दी गई है।
v. 2 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए तथा 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं जिसके लिए छोटी अवधि का प्रशिक्षण (5 दिनों तक) है, के लिए कोई के लिए कोई ईडीपी अनिवार्य नहीं है।
vi. भावी उद्यमियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता शिविर, कार्यशालाएँ और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं।
vii. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमईजीपी योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
viii. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का संचालन किया जा रहा है।
ix. प्रत्येक रविवार को सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए युवाओं और भावी उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।
x. योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो जिंगल बनाए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 29.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 964 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि और सृजित अनुमानित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का प्रदर्शन:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	इकाइयों की सहायता की गई	अनुमानित रोजगार सृजित	एमएम (करोड़ में)
1	वि.व. 2019-20	2,198	17,584	90.44
2	वि.व. 2020-21	1,677	13,416	68.65
3	वि.व. 2021-22	2,477	19,816	100.88
4	वि.व. 2022-23	3,073	24,584	129.29
5	वि.व. 2023-24	5,577	44,616	171.99

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 29.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 964 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

i. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश में जिला-वार सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि और सृजित अनुमानित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का प्रदर्शन:

क्र.स.	जिला	इकाइयों की सहायता की गई	सृजित अनुमानित रोजगार	एमएम (लाख में)
1	**विजयनगरम**	**687**	**5,496**	**904.47**
2	अन्नमय्या	630	5,040	1,056.63
3	तिरुपति	503	4,024	873.49
4	पूर्वी गोदावरी	309	2,472	1,234.06
5	श्रीकाकुलम	267	2,136	1,131.19
6	चित्तूर	240	1,920	611.62
7	अनंतपुर	228	1,824	658.78
8	श्री सत्य साईं	215	1,720	997.31
9	प्रकाशम	212	1,696	719.91
10	पश्चिम गोदावरी	197	1,576	724.46
11	कडपा (वाईएसआर)	168	1,344	602.5
12	गुंटूर	164	1,312	1,008.46
13	कुरनूल	162	1,296	450.04
14	कोनासीमा	156	1,248	633.44
15	नेल्लोर	153	1,224	698.84
16	कृष्णा	149	1,192	695.58
17	एलुरु	147	1,176	676.34
18	बापतला	146	1,168	399.38
19	अनकापल्ली	144	1,152	565.34
20	काकीनाडा	136	1,088	587.31
21	एनटीआर	133	1,064	376.48
22	नानादयाल	107	856	259.45
23	पालनाडु	106	848	636.59
24	विशाखापत्तनम	93	744	431.28
25	पार्वतीपुरम मान्यम	67	536	187.74
26	अल्लूरी सीतारमा राजू	58	464	79.15
योग		**5,577**	**44,616**	**17,199.84**

टिप्पणी: 13 जिले यानी अल्लुरी सीतारमा राजू, अनाकापल्ली, अन्नामय्या, बापटला, एलुरु, काकीनाडा, कोनसीमा, नानादयाल, एनटीआर, पलनाडु, पार्वतीपुरम मन्यम, श्री सत्य साई और तिरुपति नवगठित जिले हैं।

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

ii. **वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आंध्र प्रदेश में जिला-वार सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि और सृजित अनुमानित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का प्रदर्शन:**

क्र.स.	जिला	इकाइयों की सहायता की गई	अनुमानित रोजगार सृजित	एमएम (लाख में)
1	पूर्वी गोदावरी	345	2,760	1,540.25
2	नेल्लोर	234	1,872	971.54
3	पश्चिम गोदावरी	233	1,864	887.44
4	गुंटूर	206	1,648	1,051.51
5	अनंतपुर	179	1,432	637.46
6	**विजयनगरम**	**169**	**1,352**	**445.92**
7	प्रकाशम	165	1,320	632.7
8	चित्तूर	163	1,304	620.38
9	श्रीकाकुलम	157	1,256	745.99
10	कडपा (वाईएसआर)	153	1,224	618.62
11	कुरनूल	152	1,216	457.87
12	कृष्णा	131	1,048	559.6
13	एलुरु	110	880	504.68
14	विशाखापत्तनम	98	784	451.72
15	कोनासीमा	81	648	456.8
16	श्री सत्य साईं	77	616	574.36
17	काकीनाडा	74	592	397.63
18	अनकापल्ली	52	416	348.21
19	अन्नमय्या	49	392	159.05
20	पालनाडु	48	384	236.33
21	बापतला	47	376	162.52
22	तिरुपति	46	368	189.01
23	एनटीआर	32	256	111.16
24	अल्लूरी सीतारमा राजू	28	224	26.32
25	नानादयाल	23	184	68.15
26	पार्वतीपुरम मान्यम	21	168	74.72
योग		**3,073**	**24,584**	**12,929.94**

टिप्पणी: 13 जिले यानी अल्लुरी सीतारमा राजू, अनाकापल्ली, अन्नामय्या, बापटला, एलुरु, काकीनाडा, कोनसीमा, नानादयाल, एनटीआर, पलनाडु, पार्वतीपुरम मन्यम, श्री सत्य साई और तिरुपति नवगठित जिले हैं।

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

iii. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आंध्र प्रदेश में जिला-वार सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि और सृजित अनुमानित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का प्रदर्शन:

क्र.स.	जिला	इकाइयों की सहायता की गई	अनुमानित रोजगार सृजित	एमएम (लाख में)
1	पूर्वी गोदावरी	360	2,880	1,707.41
2	पश्चिम गोदावरी	241	1,928	997.71
3	गुंटूर	240	1,920	1,127.63
4	चित्तूर	206	1,648	713.85
5	अनंतपुर	199	1,592	690.71
6	प्रकाशम	197	1,576	742.11
7	कृष्णा	194	1,552	800.13
8	श्रीकाकुलम	157	1,256	723.95
9	कुरनूल	149	1,192	509.53
10	नेल्लोर	147	1,176	531.48
11	**विजयनगरम**	**141**	**1,128**	**534.52**
12	विशाखापत्तनम	127	1,016	545.1
13	कडपा (वाईएसआर)	119	952	464.44
योग		**2,477**	**19,816**	**10,088.56**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

iv. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आंध्र प्रदेश में जिला-वार सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि और सृजित अनुमानित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का प्रदर्शन:

क्र.स.	जिला	इकाइयों की सहायता की गई	अनुमानित रोजगार सृजित	एमएम (लाख में)
1	पूर्वी गोदावरी	301	2,408	1,294.38
2	पश्चिम गोदावरी	179	1,432	1,009.60
3	गुंटूर	145	1,160	634.37
4	चित्तूर	135	1,080	354.48
5	अनंतपुर	178	1,424	474.91
6	प्रकाशम	157	1,256	640.69
7	कृष्णा	97	776	492.48
8	श्रीकाकुलम	86	688	376.95
9	कुरनूल	80	640	242.77
10	नेल्लोर	95	760	289.80
11	**विजयनगरम**	**78**	**624**	**379.66**
12	विशाखापत्तनम	77	616	367.64
13	कडपा (वाईएसआर)	69	552	308.27
योग		**1,677**	**13,416**	**6,865.99**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

v. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आंध्र प्रदेश में जिला-वार सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि और सृजित अनुमानित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का प्रदर्शन:

क्र.स.	जिला	इकाइयों की सहायता की गई	अनुमानित रोजगार सृजित	एमएम (लाख में)
1	पूर्वी गोदावरी	344	2,752	1429.87
2	पश्चिम गोदावरी	248	1,984	1193.79
3	अनंतपुर	240	1,920	483.371
4	प्रकाशम	191	1,528	730.16
5	गुंटूर	173	1,384	665.22
6	चित्तूर	160	1,280	603.27
7	श्रीकाकुलम	145	1,160	685.28
8	कृष्णा	130	1,040	659.31
9	कुरनूल	130	1,040	516.90
10	विशाखापत्तनम	125	1,000	627.98
11	**विजयनगरम**	**121**	**968**	**603.19**
12	नेल्लोर	106	848	423.71
13	कडपा (वाईएसआर)	84	672	417.14
14	करीमनगर	1	8	5.25
योग		**2,198**	**17,584**	**9,044.49**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अनुबंध-III

लोक सभा के दिनांक 29.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 964 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी लाभार्थियों को प्रदान किए गए जिला-वार ईडीपी प्रशिक्षणों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.स.	जिला	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1	एनटीआर	240	175	0	0	0
2	एलुरु	197	273	0	0	0
3	गुंटूर	249	255	300	200	81
4	कृष्णा	258	168	180	126	103
5	कुरनूल	186	170	163	82	87
6	नेल्लोर	308	325	150	127	75
7	बापतला	245	186	0	0	0
8	चित्तूर	257	170	216	132	147
9	काकीनाडा	303	224	0	0	0
10	पालनाडु	208	169	0	0	0
11	प्रकाशम	461	280	164	189	129
12	नानादयाल	244	92	0	0	0
13	तिरुपति	289	182	0	0	0
14	अनकापल्ली	305	160	0	0	0
15	अनंतपुर	310	228	245	156	137
16	अन्नमय्या	374	224	0	0	0
17	कोनासीमा	292	217	0	0	0
18	श्रीकाकुलम	453	289	165	105	85
19	कडपा (वाईएसआर)	345	200	172	74	36
20	**विजयनगरम**	**708**	**449**	**93**	**71**	**85**
21	पूर्वी गोदावरी	458	393	344	283	242
22	विशाखापत्तनम	139	121	121	86	82
23	पश्चिम गोदावरी	344	249	288	161	231
24	श्री सत्य साईं	262	232	0	0	0
25	पार्वतीपुरम मान्यम	130	104	0	0	0
26	अल्लूरी सीतारमा राजू	49	71	0	0	0

टिप्पणी: 13 जिले यानी अल्लुरी सीतारमा राजू, अनाकापल्ली, अन्नामय्या, बापटला, एलुरु, काकीनाडा, कोनसीमा, नानादयाल, एनटीआर, पलनाडु, पार्वतीपुरम मन्यम, श्री सत्य साई और तिरुपति नवगठित जिले हैं।

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय